रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19022020-216269
CG-DL-E-19022020-216269

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 111] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 19, 2020/माघ 30, 1941
No. 111] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 19, 2020/MAGHA 30, 1941

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

(यूएसओएफ)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2020

सा.का.नि. 129(अ).—केंद्र सरकार भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय तार नियम, 1951 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

(1) **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—इन नियमों को भारतीय तार (संशोधन) नियम, 2019 कहा जाए।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 525 के उप-नियम (2) में, (इसके बाद इसे उपर्युक्त नियम कहा गया है),—

(i) मद (ञ) के बाद खण्ड (v) में, निम्नलिखित मद को शामिल किया जाएगा, अर्थात:—

(ट) "सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इण्डिया लिमिटेड के माध्यम से भारतनेट चरण-I परियोजना के प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एण्ड एम), फर्स्ट लाइन अनुरक्षण (एफएलएम) तथा अंतिम छोर अवसंरचना के उपयोग के लिए। भारतनेट परियोजना के चरण-I के तहत शेष बची ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2 वाई-फाई अभिगम बिंदु (एपी) उपलब्ध कराने के लिए फाइबर नेटवर्क और उपकरण के प्रचालन एवं अनुरक्षण प्रभार तथा कुल पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) का वित्तपोषण सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि से किया जाएगा।"

(ii) नियम 526 में, शब्दों, कोष्ठकों तथा "खंड (v)" के लिए, शब्दों, कोष्ठकों तथा अक्षरों "खंड (v) के (ञ) तथा (ट)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 30-180/2016-बीबीयूएसओएफ]

नवनीत गुप्ता, संयुक्त सचिव (प्रशासन)

नोट: मूल नियम दिनांक 6 अक्तूबर, 1951 की अधिसूचना संख्या एसआर 1546 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3 के तहत प्रकाशित किए गए थे तथा पिछली बार इन्हें दिनांक 5 सितंबर, 2017 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि 1131 (अ) के माध्यम से संशोधित किया गया था तथा इस संशोधन को दिनांक 6 सितंबर, 2017 को भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) के तहत प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

(USOF)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 2020

G.S.R. 129(E).—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Telegraph Rules, 1951, namely:—

(1) **Short title and commencement.—**These rules may be called the Indian Telegraph (Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Telegraph Rules, 1951, in rule 525, in sub-rule (2), (hereinafter referred to as the said rules),-

(i) in clause (v), after item (j), the following item shall be inserted, namely:-

(k) "For Operations and Maintenance (O and M), First Line Maintenance (FLM) and Utilisation of last mile infrastructure of Bharat Net Phase-I Project through CSC e-governance Services India Limited. Operation and Maintenance (O and M) charges for fiber network and equipment and full Capital Expenditure (CAPEX) for providing of 2 Wi-Fi Access Points (APs) in each of the remaining Gram Panchayats (GPs) of Phase-I of BharatNet project shall be funded by the Universal Service Obligation Fund (USOF)".

(ii) In rule 526, for the words, brackets "and (j) of clause (v)", the following words, brackets and letters "(j) and (k) of clause (v)" shall be substituted.

[F. No. 30-180/2016-BBUSOF]

NAVNEET GUPTA, Jt. Secy. (A)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, under part II, section 3 *vide* notification number SR 1546 dated 6th October, 1951 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 1131(E) dated the 5th September, 2017 was published in the Gazette of India, under Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 6th September, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2020.02.19 19:50:43 +05'30'